प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 15.03.2026

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से विभिन्न कंपनी के 13 मोबाइल फोन, एक स्पीकर, एक स्मार्ट हैण्ड वाच, 04 मोबाइल चार्जर, एक ब्लूटूथ, 04 चार्जिंग केबल बरामद ।

दिनांक 14.03.2026 को वादी द्वारा थाना लोनी बॉर्डर पर उपस्थित आकर तहरीर दी कि वादी के घर से 05 मोबाइल फोन भिन्न-भिन्न कम्पनी के तथा एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच व एक रियल मी बर्ड्स व पर्स में रखे कुल 03 हजार रुपये चोरी होना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा 305(ए) में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण/गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 14.03.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तगण 1.अभिषेक उर्फ काले पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम पंडित पुरवा थाना कैन्हई जिला प्रतापगढ हाल पता 30 फुटा रोड पंचवटी कालोनी कालू चक्की वाली गली गली नं01 थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष 2.इशू उर्फ पिचकू पुत्र अनिल निवासी ग्राम भाजू भौरा थाना भौरा कलां जिला शामली हाल पता गली नं0 6 उत्तरांचल कालोनी एक मकान में किराये पर थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष 3. देवराज सिह उर्फ राज पुत्र संजय निवासी हड्डी गोदाम सीएल वाली गली थाना साहसनी गेट जिला अलीगढ हाल पता 30 फुटा रोड किराये का मकान थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से विभिन्न कंपनी के 13 मोबाइल फोन, एक स्पीकर, एक स्मार्ट हैण्ड वाच, 04 मोबाइल चार्जर, एक ब्लू टूथ, 04 चार्जिंग केबल बरामद हुए। उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर पर धारा-317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग मौका पाकर लोगों के घरो में घुसकर मोबाइल आदि चोरी करते है। हमने कुछ दिन पहले तिलकराम कालोनी में एक घर से पांच मोबाइल, एक स्मार्ट वाच, ब्लूटूथ,स्पीकर व कुछ रुपये भी चोरी किये थे। जिनमें से रुपये हमने अपने शौक में खर्च कर दिये। हम लोगों ने अलग अलग जगहों से अन्य 08 मोबाइल चोरी किये है, हम लोग इन मोबाइलों को बेचने जा रहे थे कि आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

1.अभिषेक उर्फ काले पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम पंडित पुरवा थाना कैन्हई जिला प्रतापगढ हाल पता 30 फुटा रोड पंचवटी कालोनी कालू चक्की वाली गली गली नं01 थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष

2. इशू उर्फ पिचकू पुत्र अनिल निवासी ग्राम भाजू भौरा थाना भौरा कलां जिला शामली हाल पता गली नं0 6 उत्तरांचल कालोनी एक मकान में किराये पर थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष

3. देवराज सिह उर्फ राज पुत्र संजय निवासी हड्डी गोदाम सीएल वाली गली थाना साहसनी गेट जिला अलीगढ हाल पता 30 फुटा रोड किराये का मकान थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

विभिन्न कंपनी के 13 मोबाइल फोन, एक स्पीकर, एक स्मार्ट हैण्ड वाच, 04 मोबाइल चार्जर, एक ब्लूटूथ, 04 चार्जिग केबल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त देवराज के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर चोरी/बरामदगी के सम्बन्ध में 04 अभियोग तथा उक्त प्रकरण के संबंध में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वाहन चोरी व छिनैती की घटना कारित वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 संदिग्ध छीने हुए मोबाइल फोन, एक चोरी की मोटरसाइकिल व 3000/- रुपये नकद बरामद।

आज दिनांक 15.03.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर वाहन चोरी की घटना व मोबाइल छीनने जैसी घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों 1.आदिल पुत्र शाहिद निवासी बाबू होटल के पास अशोक विहार थाना लोनी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष मूल पता ग्राम मीरपुर थाना गुलावटी जिला बुलन्दशहर 2.नूर हसन पुत्र अजमुद्दीन निवासी सब्लू गढी थाना लोनी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष मूल पता खुशहाल पार्क मिलन चौक के पास थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद 3.कासिम पुत्र इन्शाद अली निवासी हाजी साजिद होटल वाली गली पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को चौकी क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल, 02 संदिग्ध छीने हुए मोबाइल फोन व थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से छीने हुये मोबाइल को

बेचकर शेष बचे हुये 3000/- रुपये नकद बरामद हुये। उपरोक्त मोटरसाइकिल की चोरी के सम्बन्ध में थाना भजनपुरा दिल्ली में अभियोग पंजीकृत है व छीने हुये मोबाइल को बेचकर शेष बचे हुये 3000/- रूपये नकद बरामदगी के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर अभियोग पंजीकृत है। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 317(2)/317(5)/304(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम तीनों आपस में दोस्त हैं। हम तीनों पूर्व में भी चोरी की घटना में जेल गये है। हम तीनों मौका पाकर वाहन चोरी व फोन छीनने की घटना कर लेते हैं। हम अधिकांश फैक्ट्री एरिया व घनी आबादी के आसपास के क्षेत्रों से दुपहिया वाहनों की चोरी करते हैं जिनको ले जाकर घनी झाड़ियों में छिपा देते हैं और मौका देखकर हम लोग वाहनों को दिल्ली कबाडी बाजार में बेचकर पैसा लेकर आपस में बांट लेते हैं। पूर्व में दिनांक 29/01/2026 को शाम किसी व्यक्ति से नवादा मोड़ सब्जी मण्डी से एक मोबाइल छीना था, जिसको हमने कुछ दिन पहले ही किसी राह चलते व्यक्ति को 5000/- रुपये में बेच दिया था, यह शेष बचे हुये 3000/- रुपये उसी फोन के हैं व हमने यह मोटरसाइकिल दिल्ली से चोरी की थी। आज हम इस मोटरसाइकिल व अन्य छीने हुये फोन को बेचने के लिए निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.आदिल पुत्र शाहिद निवासी बाबू होटल के पास अशोक विहार थाना लोनी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष मूल पता ग्राम मीरपुर थाना गुलावटी जिला बुलन्दशहर

2. नूर हसन पुत्र अजमुद्दीन निवासी सब्लू गढी थाना लोनी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष मूल पता खुशहाल पार्क मिलन चौक के पास थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद

3.कासिम पुत्र इन्शाद अली निवासी हाजी साजिद होटल वाली गली पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल, 02 संदिग्ध छीने हुए मोबाइल फोन व छीने हुये मोबाइल को बेचकर शेष बचे हुये 3000/- रूपये नकद बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

1.अभियुक्त कासिम के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है,पूर्व से थाना ट्रोनिका सिटी पर चोरी व छिनैती का 06 अभियोग, थाना लोनी पर चोरी का 01 अभियोग तथा उक्त वाहन चोरी के संबंध में थाना ई-पुलिस स्टेशन एमवी थेफ्ट क्राइम ब्रान्च दिल्ली पर 01 अभियोग पंजीकृत है। **(कुल अभियोग-09)**

2. अभियुक्त नूर हसन के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है व छिनैती का 01 अभियोग पंजीकृत है **(कुल अभियोग-02)** अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

3. अभियुक्त आदिल के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है व छिनैती का 01 अभियोग पंजीकृत है (**कुल अभियोग-02**) अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा पॉक्सो अधिनियम के अभियोग में वांछित 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।

दिनांक 13.03.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि बाल अपचारी उम्र करीब 13 वर्ष द्वारा वादी की पुत्री उम्र करीब 08 वर्ष के साथ गलत काम करना व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा -65(2)/351(3) बीएनएस व 5m/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 15.03.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

बाल अपचारी ने पूछने पर बताया कि उपरोक्त लड़की का परिवार हमारे यहां किराए पर रहता है, मैं इस लड़की को खेलने के लिए अपने कमरे में ले गया और मैंने खेल खेल में उसके साथ गलत काम किया।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

बाल अपचारी के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभिरक्षा में लेने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी ई-रिक्शा बरामद।

दिनांक 08.03.2026 को थाना निवाडी पर ई-एफआईआर के माध्यम से वादी उमर पुत्र जमील खान निवासी तिबडा रोड, कृष्णा कुंज, नवाब विहार, मोदीनगर, जिला गाजियाबाद द्वारा ई-रिक्शा रजि0 नं0 UP 14NT 3729 चोरी हो जाने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया। थाना निवाडी पुलिस द्वारा घटना का अनावरण करने हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस व अन्य साक्ष्यों के आधार पर चोरी की घटना का सफल अनावरण कर दिनांक 14/15.03.2026 की रात्रि में थाना निवाडी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1. आसिफ पुत्र निजाम निवासी मौहल्ला तेलीयान, पाइप लाइन कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद, हाल निवासी किराये पर आजाद रोड नियर शम्भीदास गेट थाना लिसाडीगेट जनपद मेरठ 2. अली मोहम्मद पुत्र कमरुद्दीन निवासी हाजीपुर बंजारा मौहल्ला थाना लोहियानगर जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी की गयी ई-रिक्शा बरामद हुई। आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण...

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण ने बताया कि हम लोग एसआरएम यूनिवर्सिटी के पास सडक से जा रहे थे हमने यह ई-रिक्शा सडक के किनारे खडी देखी जिसके पास कोई नहीं था तो हमारे मन में लालच आ गया और हम ई-रिक्शा को वहां से लेकर चले गये। हम इस ई-रिक्शा की बैटरी बेचने की फिराक में थे लेकिन आपने हमें पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

1.आसिफ पुत्र निजाम निवासी मौहल्ला तेलीयान, पाइप लाइन कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद, हाल निवासी किराये पर आजाद रोड नियर शम्भीदास गेट थाना लिसाडीगेट मेरठ उम्र करीब 22 वर्ष

2.अली मोहम्मद पुत्र कमरुद्दीन निवासी हाजीपुर बंजारा मौहल्ला थाना लोहियानगर मेरठ उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

चोरी की गयी ई-रिक्शा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना निवाडी पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 किलोग्राम अवैध चरस बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 15.03.2025 को थाना वेवसिटी पुलिस टीम व ANTF ऑपरेशनल यूनिट मेरठ द्वारा संयुक्त चेकिंग के दौरान मेनुअल इनपुट के आधार पर 02 अभियुक्त 1. रहीस मलिक पुत्र शमीम मलिक निवासी म0 न0 B- 110 निकट इन्दिरापुरम स्कूल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष 2. राजू यादव पुत्र बद्री अहीर निवासी गांव पुरूषोत्तमपुर, नगर पालिका कृष्णा नगर जिला कपिलवस्तु नेपाल उम्र करीब 27 वर्ष को 05 किलो अवैध चरस के साथ लालकुँआ पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 8/20b(ii)c/23/60 NDPS Act के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त राजू यादव जो नेपाल का रहने वाला है जो अभियुक्त रहीस मलिक के माँग के अनुसार नेपाल से सस्ते दामों में खरीदता है और यहाँ गाजियाबाद में आकर रहीस मलिक को बेच देता है तथा अभियुक्त रहीस मलिक, उक्त चरस को दिल्ली व गाजियाबाद व एनसीआर में मोटर साइकिल UP 14 FE 7736 पर घूम-घूमकर फुटकर में सप्लाई करके चरस को अधिक दामों में बेच देता है। इसी क्रम में दिनांक 15.03.2026 को भी अभियुक्त राजू यादव इसी चरस को अभियुक्त रहीस मलिक को लालकुँआ पुल के नीचे बेचने आया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

- रहीस मलिक पुत्र शमीम मलिक निवासी म0 न0 B- 110 निकट इन्दिरापुरम स्कूल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष ।
- राजू यादव पुत्र बद्री अहीर निवासी गांव पुरूषोत्तमपुर, नगर पालिका कृष्णा नगर जिला कपिलवस्तु नेपाल उम्र करीब 27 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना वेव सिटी पर उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

बरामदगी का विवरणः-

- 05 किलोग्राम अवैध चरस बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना वेवसिटी पुलिस टीम
- ANTF ऑपरेशनल यूनिट मेरठ